

पुरानी पेंशन योजना का विकल्प पत्र

टिप्पणी: उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, लखनऊ दिनांकित 11-07-2024 के अनुक्रम में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में विकल्प की व्यवस्था के अनुक्रम में विकल्प पत्र

01- नाम- शैली रॉय (SHELLY ROY)

02- वर्तमान पदनाम- विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

03- वेतनमान रूपए- 144840/-194660/-

04- वर्तमान विभाग का नाम- न्याय विभाग (जनपद न्यायालय, फर्रुखाबाद)

05- राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम- नियुक्ति विभाग उ०प्र० शासन

द्वारा (लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश)

06- विज्ञप्ति की तिथि-22-11-2003 (विज्ञप्ति संख्या- ए-2/ई-1/2003) (रोजगार समाचार-पत्र में प्रकाशित)

07- विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि- संख्या-2430/दो-4-06-32(1)/2001 टी.सी.-1 लखनऊ दिनांकित 26-05-2006

08- योगदान की तिथि- 16-06-2006

09- जन्म तिथि-15-05-1970

10- सेवानिवृत्ति की तिथि- 31-05-2030

मैं शैली रॉय पुत्री स्व० दिलीप कुमार रॉय शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/ 301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देती हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाए।

हस्ताक्षर

नाम- शैली रॉय

J.O. Code UP6175

पदनाम- विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद।

घोषणा-पत्र

मैं शैली रॉय, विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद यह घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या 01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

नाम- शैली रॉय

J.O. Code UP6175

पदनाम- विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

सुश्री शैली रॉय, विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

Vinay Kumar
(विनय कुमार-1111)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

फर्रुखाबाद

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति